संख्या : 58 /XXVII(7)पे0/2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल शासन।

वित्त (वै0आ0–सा0नि0) अनु0–7 देहरादून, दिनांक : 18 मई, 2006

विषयः–दिनांक 09 नवम्बर, 2000 के पूर्व सेवानिवृत पेंशनर्स की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तरांचल शासन के सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के सम्बन्ध में चिकित्सा अनु0– 2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या – 1180/चि0–2–2003–437/2002, दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 के प्रस्तर – 8 में व्यवस्था की गई है कि सेवानिवृत सरकारी सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य तथा मृत सरकारी सेवकों के परिवार की पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष अथवा उक्त कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे, जहाँ से वे सेवानिवृत हुए हैं। दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को अविभाजित उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल में विभाजन हो जाने के बाद ऐसे प्रकरण शासन के संज्ञान में लाये गये हैं, जिनमें उक्त तिथि के पूर्व सेवानिवृत कर्मचारी तथा उसके आश्रित पुर्नगठित उत्तरांचल के कोषागार में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहें हैं, ऐसे सरकारी सेवकों/उनके आश्रितों द्वारा चिकित्सा/उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे कहाँ प्रस्तुत किये जाय, उनके भुगतान/निस्तारण की प्रक्रिया क्या होगी।

2. अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के मामलों के निस्तारण निम्नानुसार किया जायेगा –

(1) जिन प्रकरणों में सेवानिवृत पेंशनर्स उनके आश्रित का पेंशन भुगतान उत्तरांचल राज्य की सीमा में स्थित कोषागार से किया जा रहा है, ऐसे प्रकरणों में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे चाहे वे किसी भी धनराशि के हों, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के कार्यालय में ही प्रस्तुत किये जायेंगे तथा साथ में यथास्थिति पेंशनर/आश्रित की शिनाख्त का प्रमाण पत्र भी पेंशनरों के द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा (जैसे कोषाधिकारी का प्रमाणीकरण)। उदाहरण स्वरूप लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत सहायक अभियन्ता अथवा उसके आश्रित की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा उत्तरांचल के मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल के

कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, भले ही 09.11.2000 के पूर्व सेवानिवृत्त वर्तमान उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र से हुआ हो।

(2) जहाँ कोई विभागाध्यक्ष न हो, वहाँ चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे सीधे उत्तरांचल शासन के प्रशासकीय/नोडल विभाग को प्रस्तुत किये जायेंगे। उपरोक्त प्रकार के चिकित्सा दावों का परीक्षण उस मण्डल के अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के द्वारा किया जायेगा।

(3) यदि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों में निहित धनराशि रू0 50,000 की लागत से अधिक है (यथा प्रशानिक विभाग में निहित सीमा) तो विभागाध्यक्ष के द्वारा प्रशासकीय विभाग को अपनी स्पष्ट आख्या/संस्तुति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(4) उपरोक्त प्रकार के मामलों के निस्तारण मे सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/विभाग को यदि सेवानिवृत्ति के कार्यालय से किसी सूचना की आवश्यकता पड़ती है तो वे उत्तर प्रदेश सरकार के समकक्षीय विभागाध्यक्ष/विभाग अथवा सीधे सम्बन्धित कार्यालय से ऐसी सूचना लेंगे।

3. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

4. उपरोक्त प्रकार के मामलों मे चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के जो दावे लम्बित चले आ रहें है, उनका उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

5. विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृति के आदेश/प्रस्ताव में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय कि उक्त प्रतिपूर्ति का दावा पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत पेंशनर्स/उसके आश्रित सदस्य/पारिवारिक पेंशनर का है, ताकि उक्त दावों में भुगतानित धनराशि के दोनो राज्यो के बीच प्रभाजन मे सुगमता हो।

6. चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान पेंशन संबंधी लेखा शीर्षक से किया जाता है अतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान का देयक पेंशन की भांति संबधित कोषागार द्वारा तैयार कर संबधित पेंशनर्स के बैंक खाते में जमा किया जायेगा।

7. राज्य गठन के पूर्व सेवानिवृत उक्त श्रेणी के पेंशनर्स के चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति का भुगतान सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की अनुदान संख्या – 7 के लेखाशीर्षक 2071– पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (क्रमशः) 01–सिविल (क्रमशः)– आयोजनेत्तर 800– अन्य व्यय– 06– राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तर प्रदेश) 42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

राधा रतूड़ी
सचिव, वित्त

संख्या : 58 (1)/XXVII(7)पें0/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
8. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
9. क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमायूं।
10. रीजनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तरांचल।
13. निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव, वित्त